न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/22/2023	2023/316	01.06.2023	16.07.2024

1.जयराम पुत्र कन्हैया जाति माली,
2.पूनीराम पुत्र कन्हैया जाति माली,
3.सुवालाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासीयान थाना दूंदपुरी तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर ।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1.तहसीलदार (भू. अ.) टहला तहसील टहला जिला अलवर राज.।
2.गंगाराम पुत्र प्रभाता जाति माली,
3.पून्याराम पुत्र प्रभाता जाति माली,
4.हनुमान पुत्र प्रभाता जाति माली निवासीयान टोडाजयसिंहपुरा तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राज.।

––रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू. अ.) टहला तहसील टहला जिला अलवर दिनांक 19/10/2022 नामान्तरण संख्या 660 वाके ग्राम थाना तहसील टहला जिला अलवर राज।

उपस्थितः–

01.श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता –वकील अपीलाण्ट्स
02.श्री गणपत सिंह नरूका –वकील रेस्पोडेंट्स

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू. अ.) टहला तहसील टहला जिला अलवर दिनांक 19/10/2022 नामान्तरण संख्या 660 वाके ग्राम थाना तहसील टहला जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि निर्णय दिनांक 19/10/2022 तहसीलदार (भू.अ.) टहला, तहसील टहला जिला अलवर के द्वारा नामान्तरण संख्या 660 वाके ग्राम थाना तहसील टहला की बाबत जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर राजगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 02/11/2021 के अनुसरण मे विधि विरूद्ध गलत व बेजा तौर पर कब्जे व मौके के खिलाफ बेजा तौर पर दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

व मंजूर कर किया गया है। जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील अपीलान्टस पेश की जा रही है। जो कि निम्न प्रकार स्वीकार होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर राजगढ जिला अलवर मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी हाल आराजी खसरा नम्बर 295/0.39 वाके ग्राम थाना दूंदपुरी तहसील राजगढ जिला अलवर मे अवस्थित है। उक्त आराजी के शामलाती चाह खसरा संख्या 280/0.06 से तरफ दक्षिण को एक 15 फुट चौडा रास्तता मौके पर मौजूद है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी तक पहुँचने हेतु अप्रार्थी अपीलान्ट संख्या 01 व 02 की आराजी खसरा संख्या 281/0.19 की पश्चिमी डोल व अप्रार्थी अपीलान्ट संख्या 03 की खातेदारी आराजी 282/0.30 की पूर्वी डोल तथा अप्रार्थी अपीलान्टस संख्या 01 व 02 की खातेदारी आराजी 296/0. 13 व अप्रार्थी अपीलान्टस संख्या 296/875/0.20 की उत्तरी डोल मे होकर 15 फुट चौडाई का गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 बाद सूचना तामिल उपस्थित नही होने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा एकपक्षीय बहस सुनकर तहत अदालत द्वारा दिनांक 02/11/2021 को रेस्पोडेन्टस संख्या 02 लागायत 04 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया गया है। जिस आदेश दिनांक 02/11/2021 के खिलाफ अपीलान्टस द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपील दायर कर दी गई है, जो अपील जैर तजबीज है। जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 23/06/2023 नियत है। यह है कि अपीलान्टस द्वारा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर राजगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 02/11/2021 के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अलवर के यहाँ अपील प्रस्तुत करने पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 01/04/2022 को यह आदेश पारित किया गया कि पत्रावली के साथ पेश स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर विश्वास करते हुये आदेश दिये जाते है कि उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर राजगढ के निर्णय दिनांक 02/11/21 का प्रचलन आगामी पेशी तक स्थगित किया जाता है एवं विवादित आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 0.19 हैक्टर, 282 रकबा 0.30 हैक्टर, 296 रकबा 0.13 हैक्टर, 296/875 रकबा 0.20 हैक्टर वाके ग्राम थाना दुंदपुरी तहसील राजगढ जिला अलवर के राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। रेस्पोडेन्टस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जावे। तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 11/05/2022 को पेश हो, जो आदेश आज दिनांक भी प्रभावी है। इस प्रकार न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के द्वारा स्थगन आदेश पारित करने के बावजूद न्यायालय तहसीलदार (भू. अ.) टहला तहसील टहला जिला अलवर द्वारा जो नामान्तरण संख्या 660 दिनांक 19/10/2022 को दर्ज कर स्वीकार किया गया है, जिसमे आराजी हाल खसरा नम्बर 281/874 रकबा 0.18 हैक्टर, 774/282 रकबा 0.2720 हैक्टर, 778/296 रकबा 0.1980 हैक्टर वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राज. है जो तहत अदालत का आलौच्य आदेश एबनिशियो वोईड की श्रेणी में आता है और निरस्त किये जाने योग्य है।

आलौच्य निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार (भू.अ.) टहला तहसील टहला जिला अलवर राज. ने अपीलान्टस को सूचित कर सुनवाई का अवसर नही दिया तथा मनमाने तौर पर नामान्तरण को बिना अपना माईन्ड एप्लाई किये मंजूर करने में कानूनी भूल की है। जिससे अपीलान्टस के सुनवाई के अधिकारो का हनन हुआ है। इस कारण भी आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार (भू.अ.) टहला, तहसील टहला जिला अलवर ने आलौच्य निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो मौके पर जाकर जॉच की गई अपितु न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अलवर के द्वारा पारित स्थगन आदेश की भी अवहेलना की गई है एवं बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये आलौच्य निर्णय पारित किया है, जो गलत है और निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 को मिन अपीलान्टस की आराजी मे से रास्ता लेने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है तथा अपीलान्टस द्वारा तहत अदालत के निर्णय दिनांक 19/10/2022 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपील दायर की हुई है। जिस अपील मे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश सादिर फरमाये हुए है। जिस कारण आलौच्य निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लागायत 04 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर राजगढ जिला अलवर मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय ग्राम थाना की तहसील राजगढ थी, जिस कारण तहसीलदार राजगढ को पक्षकार मुकदमा संख्या 04 बनाया गया था एवं अपीलान्टस द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई। जिसमे भी तहसीलदार राजगढ को रेस्पोडेन्ट संख्या 04 पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। किन्तु अब वर्तमान मे ग्राम थाना की तहसील टहला हो गई है। जिसके द्वारा ही नामान्तरण संख्या 660 दिनांक 19/10/2022 को दर्ज कर स्वीकार किया गया है, जो नामान्तरण संख्या 660 निरस्त होने योग्य है। यह है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अलवर के आदेश दिनांक 01/04/2022 की अवहेलना किये जाने के कारण उक्त रेस्पोडेन्टस व अन्य के विरूद्ध अपीलान्टस द्वारा हुक्मउदूली का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो हुक्मउदूली का प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय मे जैरतजबीज है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अन्य उज्जात वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेगे। अपील अपीलान्टस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो पर गौर फरमाया जाकर अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) टहला तहसील टहला जिला अलवर राज. दिनांक 19/10/2022 बाबत नामान्तरण संख्या 660 ग्राम थाना तहसील टहला जिला अलवर राज. को निरस्त फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे बहस करना चाहते हैं।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान किया गया। मुख्य तथ्य यह आया कि जारी नामांतरण 660 दिनांक 19.10.2022 वाके ग्राम थाना तहसील टहला, तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांकों का मिलान किया गया। रिकॉर्डानुसार जिस दिनांक को नामांतरण जारी हुआ था। उस दिन माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी का स्थगन जारी था। तहसीलदार को न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए था, जो नहीं किया। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टहला द्वारा पारित इंतकाल संख्या 660 निर्णय दिनांक 19.10.2022 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार टहला को पत्रावली इस आशय के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय के क्रम में अग्रिम कार्यवाही करने की सुनिश्चितता करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) अलवर (राज)

स्था० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार